दिनांक-29फरवरी2020

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

खुले में मांस विक्रय करने तथा सड़क बाधा करने वाले व्यवसायी पर उड़नदस्ता की टीम ने लगाया जुर्माना,

भिलाईनगर/ नगर निगम की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 16 कालीबाड़ी चौक, सुपेला रावणभांठा, जीई रोड, गांधी चौक, वार्ड 12, छावनी चौक, दक्षिण गंगोत्री, शीतला काम्प्लेक्स केम्प 02, क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यवसासियों से प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास , सड़क पर सामान फैलाकर व्यवसाय करने वालों का निरीक्षण कर कार्यवाही करते हुए 21,900 रुपए अर्थदण्ड की वसूली की! उड़नदस्ता की टीम ने निगम क्षेत्र का सघन दौरा कर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बिना अनुज्ञप्ति लाइसेंस व प्रतिबंधित डिस्पोजल गिलास विक्रय करने वालों के यहां निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। नगर पालिक निगम , भिलाई की उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 16 कालीबाड़ी चौक, सुपेला रावणभांठा, जीई रोड, गांधी चैक, वार्ड 12, छावनी चौक, दक्षिण गंगोत्री, शीतला काम्प्लेक्स केम्प 02 क्षेत्र अंतर्गत किराना दुकान , बाजार, होटल आदि में प्रतिबंधित प्लास्टिक, डिस्पोजल, गिलास, खुले में मांस विक्रय, सड़क बाधा एवं स्वच्छता हेतु व्यापारिक प्रतिष्ठानों व बाजार क्षेत्र में निरीक्षण करते हुए कार्यवाही की। वार्ड 16 हाउसिंग बोर्ड में फैमिली रेस्टोरेंट के संचालक द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को भी तोड़ा। उड़नदस्ता टीम ने वार्ड 16 कालीबाड़ी चौक हाउसिंग बोर्ड के पास टीन शेड से निर्मित फैमिली रेस्टोरेंट के संचालक सरबन कुमार द्वारा सड़क किनारे डंप किए 2 ट्रक मुरूम को जप्त करते हुए सड़क बाधा शुल्क के रूप में 5000 रूपए जुर्माना लिया, इसके द्वारा रेस्टोरेंट के पीछे अवैध रूप से बनाए जा रहे निर्माणाधीन कंट्रक्शन को भी तोड़कर ध्वस्त किया गया। रावणभाठा वार्ड 12 मेन रोड के पास कैलाश गुप्ता कबाड़ी वाला द्वारा सड़क किनारे सामान फैलाकर व्यवसाय करने पर 1000 रूपए जुर्माना लिया गया।

जनसम्पर्क अधिकारी